सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Case File No. NCST/ATY-1140/MP/3/2023-APCR Dated: 04.09.2023

To,

1 **Shri Faiz Ahmed Kidwai**
Principal Secretary,
Social Justice And Empowerment of
Persons With Disabilities,
Government of Madhya Pradesh,
Room No.- F004, Ground Floor,
Bhopal, Madhya Pradesh 462004
Email Id: pssocialjustice@mp.gov.in

2 **Shri Harinarayan Chari Mishra**
Police Commissioner
Bhopal,,
Malviya Nagar, Bhopal,
Bhopal, Madhya Pradesh 462011
Email Id: pc.bhopal@mppolice.gov.in

Subject: Director of Deaf-mute police helpline Anand Service Society in Madhya Pradesh by misusing his position by Commissioner Disabled, Madhya Pradesh (former Director of Mental Retardation School, Jabalpur) to influence the cases going on in Bhopal Courts of deaf-mute girls of ST suffering from sexual misconduct. Representation of Smt. Usha Maurya, Indore regarding harassment of the couple.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Sitting held on 18.08.2023 under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report may be submitted to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully

(एच.आर. मीना / H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ **Research Officer**

Copy to:

Mrs. Usha Maurya
Shri Krishna Nagar Musakhedi Indore,
Madhya Pradesh - 452001
E-mail : manishmourya7777@Gmail.com
Tel : 9144743401

NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(NCST/ATY-1140/MP/3/2023-APCR)

आयोग को प्राप्त यौनाचार से पीड़ित एसटी की मूक बधिर बालिकाओं के भोपाल न्यायालयो में चल रहे मामलों को प्रभावित करने हेतु आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश (मंदबुद्धि स्कूल के पूर्व संचालक जबलपुर) के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर मध्यप्रदेश में मूक बधिर पुलिस हेल्पलाइन आनंद सर्विस सोसायटी के संचालक दंपति को प्रताड़ित करने संबंध में आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.2023 को आयोग में हुई सुनवाई/सिटिंग का कार्यवृत ।

****

सुनवाई/सिटिंग की तिथि	:	18.08.2023, 11:00 बजे (अपराह्न)
सुनवाई/सिटिंग में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट

****

आयोग द्वारा की पूर्व की कार्यवाही

आयोग को प्राप्त यौनाचार से पीड़ित एसटी की मूक बधिर बालिकाओं के भोपाल न्यायालयों में चल रहे मामलों को प्रभावित करने हेतु आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश (मंदबुद्धि स्कूल के पूर्व संचालक जबलपुर) के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर मूक बधिर पुलिस हेल्पलाइन आनंद सर्विस सोसायटी के संचालक दंपति को कथित रूप से प्रताड़ित करने संबंध में आयोग ने संज्ञान लिया |

प्रकरण में आयोग ने प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल तथा पुलिस आयुक्त,भोपाल को दिनांक 08/05/23 को नोटिस भेजकर 7 दिवस में प्रकरण में हुई कार्यवाही का प्रतिवेदन माँगा | सूचना पत्र जारी किए गए संबंधित अधिकारियों से समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुए जिसके पश्चात आयोग मे बैठक किए जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया ।

आयोग द्वारा दिनांक 18.08.2023 को हुई बैठक में पीड़ित मूक बधिर बालिकाएँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने अनुवादक के साथ उपस्थित हुईं | प्रमुख सचिव,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त,सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल,मध्यप्रदेश को आयोग में सिटिंग हेतु भेजा गया तथा पुलिस आयुक्त, भोपाल, स्वयं बैठक में उपस्थित हुये | दोनों पक्षों से की गई चर्चा के बाद आयोग द्वारा अवलोकन किया गया कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जो विषय की संपूर्ण जांच करेगी जिसकी रिपोर्ट वर्तमान मे प्रतीक्षित है | उक्त जांच के आधार पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी |

मूक बधिर पीड़ित तीनों बालिकाओं द्वारा अपनी सांकेतिक भाषा में अनुवादक के माध्यम से आयोग को विस्तार से घटना के संबंध मे अवगत कराया गया कि करीब 5 वर्ष से भोपाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । प्रकरण में बार- बार भोपाल जाने-आने में असुविधा होती है | आरोपी प्रकरण को प्रभावित करने के लिए आनंद संस्था को परेशान कर रहा है ताकि आनंद संस्था पीड़ित बालिकाओं की न्यायालय व अन्य कार्यवाहियों मे मदद न करे | जब से आनंद संस्था ने प्रार्थियों की मदद की ,संस्था कि झूठी शिकायतें की जा रही हैं | आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा भी आरोपी को बचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया गया एवं स्वयं के हस्ताक्षर से संस्था के विरुद्ध शिकायतें की हैं | इसके साथ ही संस्था के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर के गुमनाम शिकायतें भी लगातार की जा रही हैं |

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पुलिस आयुक्त, भोपाल द्वारा आयोग को बताया गया कि पुलिस द्वारा मूक बधिर दिव्यांगजनों के लिए हेल्प लाइन चलाई गई जिसमें पीड़ित पक्ष ने आनंद संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी | पुलिस द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई और न्यायालय मे अंतिम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि न्यायालय में विचारधीन है | प्रकरण करीब 5 वर्षो से लंबित है और प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो चुके हैं |

प्रकरण की उक्त स्थिति के आधार पर आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुशंसाएँ की जाती हैं -:

प्रकरण मे यौन शोषण के अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान दर्ज हैं | उक्त अधिनियम के प्रावधानों मे पीड़ितों को जो राहत राशि प्रदान की जाती है, वह प्रकरण में दी गई है या नहीं यह अस्पष्ट है | अतः प्रकरण की राहत राशि के संबंध में दस्तावेज़ो के माध्यम से आयोग को जानकारी प्रदान की जाए | यदि पीड़ितों को राहत राशि नहीं दी है तो नियमानुसार उसका भुगतान कर विलंब के कारणों को स्पष्ट किया जाए | पुलिस आयुक्त ,भोपाल व संबंधित जिले के कलेक्टर उक्त कार्यवाही के संबंध मे आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें |

प्रकरण में जाँच हेतु गठित कमेटी प्रार्थियों के निवास स्थान पर जाकर उनके कथन लेख बद्ध करे | कमेटी इन तथ्यों पर भी विश्लेषण करे कि घटना के पश्चात से अब तक पीड़ितों को,जो मूक बधिर दिव्यांगजन हैं, उनके हितो के संरक्षण मे क्या कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई | आरोपी जो की सामाजिक न्याय विभाग से अनुदान प्राप्त कर हॉस्टल का संचालक था, उसके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई | प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग म.प्र. शासन, उक्त रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करे |

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त ऐसे सभी होस्टलों मे उक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु विभाग द्वारा किये गए उपायो की जानकारी आयोग को दी जाए |प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग म.प्र. शासन, भोपाल, उक्त रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें |

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला अलीराजपुर,धार एवं इंदौर में दिव्यांगजनों की शिक्षा को लेकर चल रही संस्थाओ को अनुदान प्रदान करते हुये दिव्यांगजनों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाये | इस संबंध में कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जाए | संबन्धित जिलों के कलेक्टर इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को दें।

उपरोक्त प्रकरण 5 वर्षो से लंबित है जिससे पीड़ित बालिकाओं को आर्थिक एवं मानसिक कष्ट हो रहा हैं व साक्षी प्रभावित हो रहे हैं | अतः प्रकरण को त्वरित न्यायालय (Fast Track Court) मे विचारण हेतु चिन्हित प्रकरण की सूची मे दर्ज करवाया जाये एवं न्यायालय में साक्षियों की उपस्थिती सुनिश्चित की जाये | पुलिस आयुक्त इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करते हुये आयोग को अवगत कराएं।

उक्त अनुशंसाओ पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए 1 माह में आयोग को कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित की जाए |

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1140/MP/3/2023-APCR

Sitting held on 18.08.2023 at 11.00 A.M यौनाचार से पीड़ित एसटी की मूक बधिर बालिकाओं के भोपाल न्यायालयो मैं चल रहे मामलों को प्रभावित करने हेतु आयुक्त निके द्वारा अपने पद का (मंदबुद्धि स्कूल के पूर्व संचालक जबलपुर) शक्तजन मध्यप्रदेश: दुरुपयोग कर मध्यप्रदेश में मूक बधिर पुलिस हेल्पलाइन आनंद सर्विस सोसायटी के संचालक दंपति को प्रताड़ित करने के विषय मे

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Ananta Nayak Hon'ble Member	In Chair	
2.	R.K. Dubey, Dy. Dir	Dy. Dir.	
3.	H.R. Meena	R.O.	[signature]
4.	Amrita Singh Solanki	S I	[signature]
5.	Radhakanta Tripathy	Special Rapporteur	[signature]
6.	Dr. E. RAMESH KUMAR	OSD & COMM'R SJE Dept.	[signature]
7.	Harinarayanachari Mishra	Com of Police Bhopal	[signature]
8.			
9.			
II	**Officers from District Madhya Pradesh and District - Bhopal**		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioners**		
1			